सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2012/00034

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : **डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0**

प्रकरण सं0 02/2012

(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. सरकार

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र श्री चुनीराम जाति कुम्हार निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (शिकायतकर्ता)
2. भागीरथ पुत्र श्री गुलाराम जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृत्तक)
   2/1 किस्तुरी देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2/2 कमलादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2/3 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2/4 विमलादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2/5 जेतादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   2/6 रामप्रताप पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता
2. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं
3. अधिवक्ता बलविन्द्रसिंह बराड़ अप्रार्थीगण 2/1 से 2/6

आदेश **दिनांक : 08.12.2020**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि प्रार्थी लखाहाकम का निवासी है तथा अप्रार्थी भी लखाहाकम का निवासी है पूर्व में वह चक 84 आर.बी. में रहता था। अप्रार्थी के पिता श्री गुलाराम के नाम से चक 84 आर.बी. में नहरी भूमि थी । गुलाराम की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त आराजी उसके पुत्रो को विरासतन प्राप्त हुई। अप्रार्थी भागीरथ को अपने पिता से नहरी भूमि वाले चक 84 आर.बी. में प्राप्त होने पर दिनांक 20.08.1971 को भोलासिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह कोम जटसिख साकिन

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

76 आर.बी. को विक्रय कर दी है। विक्रय करने के उपरान्त खरीददार भोला सिंह के नाम इन्तकाल दर्ज हो चुका है और मौका पर भूमि भोलासिंह काश्त करता चला आ रहा हैं। नकल इन्तकाल सलंग्न दरख्वास्त है। अप्रार्थी भागीरथ ने अपनी पैतृक खातेदारी भूमि का बेचान करने के उपरान्त लखाहाकम गांव में आकर बसने लग गया और वहां भूमिहीन बनकर सन् 1972 में रोही मोजा लखाहाकम भू.अ. निरीक्षक रायसिंहनगर के पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नम्बर 222 के किला नम्बर 1 ता 25 के 6.325 हैक्टर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/277 के मुरब्बा नम्बर 277 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर बारानी भूमि का पुख्ता आवंटन करवाया है। अप्रार्थी ने वरवक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर आवंट करवाया है जो विधि विपरीत है विधि विपरीतआवंटन से मौका पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है को प्रारम्भिक दृष्टि से शुन्य है। ऐसे खातेदारी अधिकार कानूनन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है तथा कानूनन उन्हें स्थिर रहने की अनुज्ञा नहीं देता है। अप्रार्थी ने अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि के विक्रय चक 84 आर.बी. के बारे में कोई भी विवरण दर्ज नहीं किया है। अपनी खातेदारी भूमि के बेचान करने के उपरान्त गंगकैनाल परमानेन्ट आवंटन नियम , पुख्ता आवंटन करवाने की इजाजत नहीं देता है। पुख्ता आवंटन करवाने की इजाजत नहीं देता है। पुख्ता आवंटन के समय अप्रार्थी के पास चक 84 आर.बी. की टीसी भूमि काश्त करता था। टी.सी. भूमि चक 84 आर.बी.बी. के मुरब्बा नम्बर 4 व 41 की थी। अपने आवटन प्रार्थना पत्र में इस भूमि का वर्णन नहीं किया है। अप्रार्थी आवंटन के समय भूमिहीन किसान नहीं था जिस व्यक्ति को पैतृक भूमि चक 84 आरबीबी की खातेदारी एवं टी.सी. भूमि विरासत में उपलब्ध होती हो वह भूमिहीन किसान नहीं है। अप्रार्थी भागीरथ ने धारा 11 रा.उ.नि. अधिनियम के अनुसार तथ्यो को छुपाकर भूमि का आवंटन करवाया है जो धारा–14 रा.उप. अधिनियम में निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी भागीरथ का आवंटन रोही मोजा लखाहाकम के मुरब्बा नम्बर 222 एवंम 227 की 12.650 हैक्टर भूमि बारानी का प्रारम्भ से ही शून्य और ऐसे प्रारम्भ से ही शुन्य आवंटन आदेश के आधार पर प्राप्त किये गये खातेदारी अधिकार भी स्वतः ही प्रारम्भिक रूप से शुन्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 रा.उ.निवेशन अधिनियम पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी भागीरथ को किया गया आवंटन चक लखाहाकम के पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नम्बर 222 के किला नम्बर 1 ता 25 के 6.325 हैक्टर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/277 के मुरब्बा नम्बर 277 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर बारानी भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर बहक सरकार रिज्युम की जावें।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकःटीआरए/3446 दिनांक 28.07.2005 की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थी रामप्रताप व अप्रार्थी भागीरथ गांव लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर के रहने वाले है।
2. रिपोर्ट पटवारी अनुसार अप्रार्थी भागीरथ पुत्र गुलाराम के नाम पिता से विरासत में मुरब्बा 222 का 6.325 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 277 का 6.325 हैक्टर कुल 12.650 हैक्टर बारानी ईन्तकाल 8 दिनांक 6.10.1967 से ग्राम पंचायत खाटा से वसीयत मंजूर हुई। इन्तकाल की फोटो प्रति सलंग्न है। चक 84 आर.बी.बी. में भी अप्रार्थी के पिता गुलाराम पुत्र हरखाराम के नाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटन है जो अप्रार्थी ने बेचान कर दी। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम आवंटन नहीं है।

3. अप्रार्थी भागीरथ के नाम ग्राम लखाटिब्बा में कोई आराजी भूमि नहीं है।
4. अप्रार्थी भागीरथ के नाम आवंटन न होकर उसके पिता के नाम आवंटन है। आवंटन आदेश की प्रति सलंग्न है।
5. अप्रार्थी भागीरथ के नाम से भूमि आवंटन न होकर उसके पिता को अलाट हुई है। भागीरथ को विरासत में मिली ।
6. रिपोर्ट पटवारी 84 आर.बी. के अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड चक 84 आर.बी.बी. में भागीरथ व गुलाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट के नाम भूमि नहीं है। पूर्व में चक 84 आर.बी.बी. में मुरब्बा नम्बर 4 व 41 में 4.111 हैक्टर नहरी भूमि टी.सी. पर ओमप्रकाश–रामप्रताप पिसरान भागीरथ जाट के नाम थी जो खारिज है जिसकी अपील एडीएम साहब के जेरकार बताई।
7. अप्रार्थी भूमिहीन किसान नहीं है क्योंकि पिता से विरासत में भूमि मिली है।
8. अप्रार्थी भागीरथ को कोई आवंटन नहीं हुआ
9. अप्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 222 व 277 की 50 बीघा भूमि विरासत से प्राप्त है।
10.

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकःटीआरए/16/224 दिनांक 16.02.2016 की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. यह है कि गुला पुत्र हरखा के नाम चक 84 आर.बी.बी. में सैल रजिस्टर के खाता संख्या 06/1985 के अनुसार गुल्ला पुत्र हरखा को मु0न0 6 का 8.5 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन होना दर्ज है जिसकी खातेदारी सनद संख्या 8583 दिनांक 07.01.1977 जारी है।
2. अप्रार्थी गुला पुत्र हरखा के नाम चक लखाटिब्बा में मुरब्बा नम्बर 222 में 6.010 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 77 में 6.010 हैक्टेयर कुल 12.020 हैक्टेयर बारानी भूमि टी.सी. से पुख्ता आवंटन की गई थी जिसकी खातेदारी सनद जारी होकर रकबा खातेदारी दर्ज हो चुका है। वर्तमान में मुताबिक जमाबंदी चक लखाटिब्बा के उक्त दोनो मुरब्बा नम्बर का कुल 12.020 हैक्टेयर रकबा किस्तुरीदेवी पत्नी भागीरथ, कमलादेवी, ओमप्रकाश, विमलादेवी,जैलादेवी, रामप्रताप पिता भागीरथ हर छः ब0हि0ब0 कौम जाट साकिन लखाहाकम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा का आवंटन गुला पुत्र हरखा को बारानी आवंटन हुआ था। बाद में लखा माईनर के निकलने पश्चात यह रकबा जरिये इंतकाल संख्या 1886 दिनांक 13.06.2013 से बारानी से नहरी किस्म परिवर्तन हुआ है।
3. चक 84 आर.बी.बी.के मुरब्बा नम्बर 4 में 1.013 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 41 में 3.099 हैक्टेयर नहरी कुल 4.112 हैक्टर नहरी भूमि ओमप्रकाश–रामप्रताप पिता भागीरथ , जमुना पत्नी ओमप्रकाश, कमला पत्नी रामप्रताप कौम जाट साकिन देहखातेदार दर्ज रिकार्ड है यह रकबा अप्रार्थी भागीरथ व उनके पिता गुला पुत्र हरखा को आवंटन नहीं हुआ है। यह आवंटन दिनांक 31.12.2005 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर द्वारा ओमप्रकाश वगैरा को टी.सी. से पुख्ता आवंटन किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं है।

अप्रार्थी 02 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कि :–

1. यह कि अप्रार्थी भागीरथ का देहान्त पूर्व में हो चुका है। जिनके जायज वारिसान पत्रावली पर मौजूद है।
2. यह कि शिकायतकर्ता रामप्रताप एक झगड़ालू एवं लोगों की झूठी शिकायतें करने का आदि है और इसी निति से रामप्रताप द्वारा भागीरथ के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी के समक्ष जेकार प्रकरण अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत दर्ज करवाया है जो खारिज होन योग्य है।
3. यह कि शिकायतकर्ता रामप्रताप द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अप्रार्थी भागीरथ ने अपनी पैतृक भूमि का बेचान करके सन् 1972 में लखा हाकम भू अभिलेख निरीक्षक रायसिंहनगर के पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नं0 222 के किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/77 के मुरब्बा नं0 277 किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी कुल 12.650 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि का आंवटन करवाया गया है जबकि वास्तविक तथ्य तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक 3446 दिनांक 28.07.2005 व तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक 724 दिनांक 08.02.2016 के अनुसार स्पष्ट है कि भागीरथ के पिता गुलाराम के नाम से चक लखाटिब्बा में मुरब्बा नं0 222 में 6.010 हैक्टेयर व मुरब्बा नं0 277 में 6.010 कुल 12.020 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि टी0सी0 से पुख्ता आवंटन की गयी थी जिसकी खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबा कस्तूरी देवी पत्नी भागीरथ, कमला देवी, ओमप्रकाश, विमला देवी, जला देवी रामप्रताप पिता भागीरथ हर छः बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त आवंटन गुलाराम पुत्र हरखाराम को हुआ था।
4. यह कि प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि 84 आर0बी0 में भागीरथ के नाम से रकबा आवंटन है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार कोई भी रकबा भागीरथ के नाम से आवंटन नहीं है।
5. यह कि जब भागीरथ के नाम से कोई कृषि भूमि का आवंटन ही नहीं है तो तथ्यों को छुपाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की स्पष्ट परिभाषा है कि किसी व्यक्ति द्वारा आवंटन के समय आवश्यक तथ्यों को छुपाकर किसी भी कृषि भूमि का आवंटन करवाना जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

अतः श्रीमान जी के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा पेश अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता के अनुसार भागीरथ पुत्र गुल्लाराम को पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नं0 222 के किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/77 के मुरब्बा नं0 277 किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी कुल 12.650 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि का आंवटन करवाया गया है जबकि रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 28.07.2005 एवं 16.02.2016 भागीरथ को आवंटन न होकर भागीरथ के पिता गुलाराम को आवंटित है। अप्रार्थी गुल्लाराम के पास चक 84 आर.बी.बी. में सैल रजिस्टर के खाता संख्या 06/1985 के अनुसार गुल्ला पुत्र हरखा को मु0न0 6 का 8.5 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन होना दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा जो चक लखाटिब्बा का पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नं0 222 के किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/77 के मुरब्बा नं0 277 किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी कुल 12.650 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि जो आवंटन करवाया गया है वह गलत है जिसे खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 28.07.2005 एवं 16.02.2016 द्वारा चक लखाटिब्बा का पत्थर नम्बर 244/276 के मुरब्बा नं0 222 के किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी तथा पत्थर नम्बर 244/77 के मुरब्बा नं0 277 किला नं0 1 ता 25 के 6.325 हैक्टेयर बारानी कुल 12.650 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि भागीरथ को आवंटन न होकर भागीरथ के पिता गुलाराम को आवंटित है। भागीरथ के पिता गुला पुत्र हरखा के नाम चक 84 आर.बी.बी. में सैल रजिस्टर के खाता संख्या 06/1985 के अनुसार गुल्ला पुत्र हरखा को मु0न0 6 का 8.5 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन होना दर्ज है। कोलोनाईजेशन एक्ट में यह डेफिनेशन अंकित है कि 15.00 बीघा से कम भूमि धारक को भूमिहीन कृषक माना गया है। जबकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के पिता गुलाराम पुत्र हरखराम के नाम से चक 84 आर.बी. में मु0न0 6 का 8.5 बीघा नाम है। जिसकी सनद संख्या 8583 दिनांक 07.10.1977 को जारी हुई है।

इन तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांकः टीआरए/3446 दिनांक 28.07.2005 एवं क्रमांकः टीआरए/16/224 दिनांक 16.02.2016 से होती है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत भागीरथ पुत्र हरखाराम के खिलाफ की गई जिसके द्वारा उक्त विवादित भूमि का आवंटन ही नहीं करवाया गया है एवं शिकायत प्रमाणित भी नहीं होनी पाई जाती है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन प्रतीत होती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 08.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)